"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 51]   रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 18 दिसम्बर 2015—अग्रहायण 27, शक 1937

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 30 नवम्बर 2015

क्रमांक ई-1-03/2015/एक/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्रीमती किरण कौशल, भा.प्र.से. (2009) संचालक, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा संचालक, समाज कल्याण को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त वर्तमान दायित्वों के साथ-साथ प्रबंध संचालक, छ.ग. नि:शक्तजन वित्त एवं विकास निगम, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

श्रीमती किरण कौशल द्वारा पदभार ग्रहण करने पर श्री नरेंद्र शुक्ला, भा.प्र.से. (2004), प्रबंध संचालक, कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड तथा प्रबंध संचालक, छ.ग. नि:शक्तजन वित्त एवं विकास निगम केवल प्रबंध संचालक, छ.ग. नि:शक्तजन वित्त एवं विकास निगम के प्रभार से मुक्त होंगे तथा शेष प्रभार यथावत् रहेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढाँड, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.

नया रायपुर, दिनांक 4 दिसम्बर 2015

क्रमांक ई 7-06/2005/1/2.—अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियम, 1955 के नियम 19(1) के प्रावधान अनुसार श्री टी. राधाकृष्णन, भा.प्र.से. को इस विभाग द्वारा स्वीकृत कुल 08 दिवस के निम्नांकित अर्जित अवकाश को लघुकृत अवकाश में परिवर्तित किया जाता है :—

क्र.	अवधि	दिवस	स्वीकृत आदेश दिनांक
1.	दिनांक 04-08-2014 से 06-08-2014	03	23-06-2015
2.	दिनांक 18-05-2015 से 19-05-2015	02	23-06-2015
3.	दिनांक 17-06-2015 से 19-06-2015	03	06-07-2015
	कुल	**08 दिवस**	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकुन्द गजभिये, अवर सचिव.

विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 16 नवम्बर 2015

क्रमांक 10737/3571/21-ब/छ.ग./2015.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के परामर्श से महाधिवक्ता कार्यालय, बिलासपुर में पदस्थ निम्नलिखित सारणी के क्रमांक (2) में वर्णित विधि अधिकारियों को, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में दांडिक मामलों के संचालन के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करता है :—

क्रमांक	विधि पदाधिकारी का नाम	पद नाम
1.	श्री प्रफुल्ल भारत	अतिरिक्त महाधिवक्ता
2.	श्री रमाकांत मिश्रा	उप महाधिवक्ता
3.	श्री सुनील काले	उप महाधिवक्ता
4.	श्री राजकुमार गुप्ता	उप महाधिवक्ता
5.	श्री बी. गोपा कुमार	उप महाधिवक्ता
6.	श्री सुरेश खाखरिया	उप महाधिवक्ता
7.	श्री प्रसून भादुड़ी	शासकीय अधिवक्ता
8.	श्री शंशाक ठाकुर	शासकीय अधिवक्ता
9.	श्री ओमप्रकाश साहू	शासकीय अधिवक्ता
10.	श्री नीरज जैन	शासकीय अधिवक्ता
11.	श्री विवेक शर्मा	शासकीय अधिवक्ता
12.	श्री अनिल पाण्डे	शासकीय अधिवक्ता
13.	श्री धीरज वानखेड़े	शासकीय अधिवक्ता
14.	श्री अनुपम दुबे	उप शासकीय अधिवक्ता
15.	श्री अधिराज सुराना	उप शासकीय अधिवक्ता
16.	श्री गैरी मुखोपाध्याय	उप शासकीय अधिवक्ता
17.	श्री दिलमनरति मिंज	उप शासकीय अधिवक्ता
18.	श्री नीरज शर्मा	उप शासकीय अधिवक्ता

F No. 10737/3571/XXI-B/C.G./15.—In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of Section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974) the State Government in consultation with the High Court of Chhattisgarh is pleased to appoint the following Law Officers posted in Advocate General Office, Bilaspur as specified in Column No. (2) as Additional Publice Prosecuter for conducting criminal cases in the High Court of Chhattisgarh :—

S. No. (1)	Name of the Law Officers (2)	Designation (3)
1.	Shri Prafulla Bharat	Additional Advocate General
2.	Shri Ramakant Mishra	Dy. Advocate General
3.	Shri Sunil Kale	Dy. Advocate General
4.	Shri Rajkumar Gupta	Dy. Advocate General
5.	Shri B. Gopa Kumar	Dy. Advocate General
6.	Shri Suresh Khakharia	Dy. Advocate General
7.	Shri Prasun Bhaduri	Government Advocate
8.	Shri Shasank Thakur	Government Advocate
9.	Shri Omprakash Sahu	Government Advocate
10.	Shri Neeraj Jani	Government Advocate
11.	Shri Vivek Sharma	Government Advocate
12.	Shri Anil Pandey	Government Advocate
13.	Shri Dhiraj Wankhede	Government Advocate
14.	Shri Anupam Dubey	Dy. Government Advocate
15.	Shri Adhiraj Surana	Dy. Government Advocate
16.	Shri Gairy Mukhopadhyay	Dy. Government Advocate
17.	Shri Dilman Rati Minj	Dy. Government Advocate
18.	Shri Neeraj Sharma	Dy. Government Advocate

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सामन्तराय, प्रमुख सचिव.

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 30 नवम्बर 2015

क्रमांक एफ 1-32/2015/25-2.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 5096/1514/25-2 दिनांक 1 जुलाई 2006 के द्वारा श्री साजिद मेमन, सहायक संचालक, संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग रायपुर को हज कमेटी के सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है को निरस्त करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री एम. आर. खान, सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग को सचिव/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य हज कमेटी के पद पर आगामी आदेश तक पदस्थ करता है.

2. श्री एम. आर. खान छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग में अन्य सचिव की पदस्थापना होने तक अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमृता बेक, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 18 नवम्बर 2015

क्रमांक 6/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	मोंछ प.ह.नं. 31	22.40	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा जिला-बिलासपुर (छ.ग.)	अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना मुख्य नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 18 नवम्बर 2015

क्रमांक 12/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	सैदा प.ह.नं. 41	66.51	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा जिला-बिलासपुर (छ.ग.)	अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना मुख्य नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 18 नवम्बर 2015

क्रमांक 14/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	कपसिया खुर्द प.ह.नं. 19	11.68	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा जिला-बिलासपुर (छ.ग.)	अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना मुख्य नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 18 नवम्बर 2015

क्रमांक 41/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	खम्हरिया प.ह.नं. 08	24.71	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा जिला-बिलासपुर (छ.ग.)	अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना मुख्य नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 18 नवम्बर 2015

क्रमांक 42/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	खरगहनी प.ह.नं. 15	22.16	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा जिला-बिलासपुर (छ.ग.)	अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना मुख्य नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 18 नवम्बर 2015

क्रमांक 43/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	जोगीपुर प.ह.नं. 15	65.33	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा जिला-बिलासपुर (छ.ग.)	अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना मुख्य नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 18 नवम्बर 2015

क्रमांक 44/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	छेरकाबांधा प.ह.नं. 15	67.70	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा जिला-बिलासपुर (छ.ग.)	अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना मुख्य नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 30 अक्टूबर 2015

क्रमांक 6/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-सारंगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-माधोपाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.106 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
96/7	0.036
100/1	0.242
102/2	0.036
112/1	0.008
128/2	0.045
131/1	0.061
133/4	0.004
96/8	0.028
100/3	0.032
113/2, 115/2	0.158
138/1	0.004
128/3	0.109
112/2	0.061
135	0.004
98/4	0.041
102/3क	0.089
131/3 ख, 131/4	0.170
111/348	0.061
128/4	0.045

(1)	(2)
128/5	0.126
96/11	0.036
102/4	0.190
100/2क	0.206
131/2, 131/3क	0.142
127/1	0.028
129/2	0.109
133/1	0.085
97/2क	0.012
99	0.105
100/2ख	0.170
113/1, 115/1	0.250
127/2	0.271
128/6	0.138
133/2	0.004
योग 34	3.106

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लातनाला व्यपवर्तन योजना के तहत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलरमेलमंगई डी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी)बोर्ड

बीज भवन, जी. ई. रोड, तेलीबांधा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 नवम्बर 2015

क्रमांक/बी-8/32 (2)/भा.अधि./2015-16/5589.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2012-13/38921213-1214 दिनांक 21-05-2015 द्वारा श्री के. एस. पैकरा, तहसीलदार कोटा कृषि उपज मण्डी समिति कोटा का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक/वित्त-1/2015/5109 दिनांक 20-10-2015 द्वारा श्री अरूण खलखो तहसीलदार कोटा को कृषि उपज मंडी समिति कोटा जिला-बिलासपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अतः छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री के. एस. पैकरा, तहसीलदार कोटा के डिप्टी कलेक्टर के पद पर पदोन्नत होने के कारण उनके स्थान पर श्री अरूण खलखो तहसीलदार कोटा को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति कोटा जिला-बिलासपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 23 नवम्बर 2015

क्रमांक/बी-8/32 (2)/भा.अधि./2015-16/5635.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2011-12/क्रमांक 3708 दिनांक 11-09-2012 द्वारा श्री अजय कुमार अग्रवाल, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी कुरूद को कृषि उपज मण्डी समिति कुरूद जिला-धमतरी का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर, जिला-धमतरी के ज्ञापन क्रमांक/13883/वित्त/न.क्र./2015/धमतरी दिनांक 13-11-2015 द्वारा श्री संदीप कुमार अग्रवाल, डिप्टी कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरूद को कृषि उपज मण्डी समिति कुरूद का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री अजय कुमार अग्रवाल, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी कुरूद का पदस्थापना/स्थानांतरण होने से उनके स्थान पर श्री संदीप कुमार अग्रवाल, डिप्टी कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरूद को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति कुरूद का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 24 नवम्बर 2015

क्रमांक/बी-8/32/भा.अधि./2015-16/5666.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2014-15/3311-3312 रायपुर दिनांक 25-09-2014 द्वारा श्री के.के. बेहार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) महासमुन्द को कृषि उपज मंडी समिति महासमुन्द जिला-महासमुन्द का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर, जिला-महासमुन्द का ज्ञापन क्र. 1117/40/अ.अ.ऊ.शा./2015-16/दिनांक 18-11-2015 द्वारा श्री श्रवण कुमार टण्डन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) महासमुन्द को कृषि उपज मंडी समिति महासमुन्द का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री के. के. बेहार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) महासमुन्द के स्थान पर श्री श्रवण कुमार टन्डन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) महासमुन्द को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति महासमुन्द जिला महासमुन्द का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

नरेन्द्र शुक्ल,
प्रबंध संचालक.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 19th November 2015

No. 727/CSJA/Ist Part Ind./2015 Batch/2015.—The following newly appointed Civil Judges (Entry Level) as specified in column No. (2) presently posted at the places specified in column No. (3) of the table below are directed to report in the Chhattisgarh State Judicial Academy, High Court of Chhattisgarh (Old High Court Building), Bilaspur on 04-12-2015 by 4.00 P.M. for undergoing the First Part of Institutional Training Programme scheduled to be held from 05th December, 2015 to 04th January, 2016.

TABLE

Sl. No. (1)	Name (2)	Posted as & at (3)
1.	Ku. Neha Yati	X Civil Judge Class-II, Durg
2.	Shri Dilli Singh Baghel	I Civil Judge Class-II, Bilaspur
3.	Ku. Priyanka Bundela	XI Civil Judge Class-II, Durg
4.	Shri Bhaskar Mishra	II Civil Judge Class-II, Bilaspur
5.	Shri Praveen Mishra	XII Civil Judge Class-II, Durg
6.	Smt. Nidhi Sharma	III Civil Judge Class-II, Bilaspur
7.	Ku. Deepti Singh Gaur	VII Civil Judge Class-II, Raipur
8.	Shri Pallve Raghuvanshi	IV Civil Judge Class-II, Bilaspur
9.	Shri Bhupesh Kumar Basant	II Civil Judge Class-II, Ambikapur
10.	Ku. Chetna Thakur	I Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Durg.

(1)	(2)	(3)
11.	Ku. Seema Kanwar	III Civil Judge Class-II, Raigarh
12.	Shri Aslam Khan	IX Civil Judge Class-II, Raipur
13.	Shri Shiv Prakash Tripathi	X Civil Judge Class-II, Raipur
14.	Shri Girish Pal Singh	II Civil Judge Class-II, Raigarh
15.	Ku. Barkha Rani Kasar	II Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Durg.
16.	Ku. Suman Dhruv	II Civil Judge Class-II, Bemetara
17.	Ku. Amrita	III Additional Judge to the court of
18.	Ku. Mrinalini Katulkar	I Civil Judge Class-II, Jagdalpur
19.	Shri Devashish Thakur	Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Ambikapur.
20.	Ku. Bhawana Nayak	XVI Civil Judge Class-II, Raipur
21.	Ku. Sweta Baghel	IV Civil Judge Class-II, Raigarh
22.	Shri Vivek Netam	XV Civil Judge Class-II, Raipur
23.	Shri Puneet Ram Gurupanch	I Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Surajpur.
24.	Shri Anil Kumar Chauhan	II Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Surajpur.
25.	Ku. Shanti Prabhu	Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Rajnandgaon.
26.	Smt. Deepti Lakra	Additional Judge to the Court of Civil Judge Class-II, Korba.
27.	Ku. Apurva Khare	II Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Ambikapur.
28.	Smt. Prateeksha Sharma	V Civil Judge Class-II, Bilaspur
29.	Ku. Mayura Gupta	I Civil Judge Class-II, Mahasamund
30.	Ku. Astha Yadav	III Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Surajpur.
31.	Ku. Tanu Shree Gavel	IV Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Durg.
32.	Shri Anand Kumar Singh	Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Kondagaon.
33.	Shri Ramesh Kumar Chauhan	II Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Korba.
34.	Ku. Manju Lata Sinha	Civil Judge Class-II, Baloda-Bazar
35.	Shri Gulapan Ram Yadav	I Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Raipur.
36.	Shri Styanand Prasad	II Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Raipur.
37.	Ku. Khileshwari Sinha	V Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Durg.
38.	Shri Bhagwan Das Panika	VI Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Durg.
39.	Ku. Neha Usendi	III Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Raipur.
40.	Shri Anant Deep Tirkey	IV Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Raipur.
41.	Ku. Anita Koshima	Civil Judge Class-II, Kawardha
42.	Shri Bhavesh Kumar Watti	V Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Raipur.
43.	Ku. Deepa Suchita Tirkey	VI Civil Judge Class-II, Bilaspur
44.	Ku. Seema Jagdalla	I Civil Judge Class-II, Balod
45.	Smt. Kanchan Lata Achala	VI Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Raipur.
46.	Ku. Anjali Singh	Civil Judge Class-II, Baikunthpur

(1)	(2)	(3)
47.	Ku. Jasvinder Kaur Ajmani	VII Addi. Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Durg.
48.	Shri Lokesh Kumar	VII Addi. Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Raipur.
49.	Ku. Amita Jaiswal	VIII Addi. Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Raipur.
50.	Ku. Rupal Agrawal	Addi. Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Durg at Bhilai-3.

The abovementioned Trainee Judges are also directed to observe the dress code with tie instead of band prescribed by the High Court during the training and to bring with them the following books :—

(A) Code of Civil Procedure
(B) Code of Criminal Procedure
(C) Evidence Act
(D) Limitation Act
(E) Indian Penal Code
(F) Rules & Orders - Civil & Criminal
(G) Stamp & Court Fees Act
(H) Arms Act
(I) C.G. Excise Act
(J) Legal Services Authority Act, 1987 (with C.G. Rules)

By order of Hon'ble the High Court,
ARVIND SINGH CHANDEL, Registrar General.